कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.)

(Email – cgebalodabazar@gmail.com) Ph. 07727-222777

// आदेश //

बलौदाबाजार, दिनांक 21/03/2020

मैं कार्तिकेया गोयल, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला बलौदाबाजार–भाटापारा छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला–रायपुर के पत्र क्रमांक/1509/2020/वा.क.(आब.)/पांच एवं पत्र क्रमांक/1513/2020/वा.क.(आब)/पांच नवा रायपुर, दिनांक 21.03.2020 के द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से आम जन को सुरक्षित रखने हेतु **छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उप–धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए** बलौदाबाजार जिले की समस्त देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों एवं देशी मदिरा के मद्य भण्डारण भाण्डागार एवं जिले में संचालित एफ.एल.–4 क्लब को निम्नानुसार बंद रखने हेतु आदेशित करता हूँ।

क्र.	विवरण	घोषित शुष्क दिवस
1	(1) जिले में संचालित समस्त देशी एवं समस्त विदेशी मदिरा दुकानें (2) मद्य भण्डारण भाण्डागार, बलौदाबाजार	दिनांक 23.03.2020 से 25.03.2020 तक
2	एफ.एल.–4 सोनाडीह क्लब, रसेड़ा बलौदाबाजार	दिनांक 23.03.2020 से 31.03.2020 तक

घोषित शुष्क अवधि पर जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) में मदिरा का क्रय–विक्रय, अवैध मदिरा धारण एवं मदिरा परोसना पूर्णतः प्रतिबंधित करता हूँ।

Kgoel
21-03-2020
कलेक्टर
जिला बलौदाबाजार–भाटापारा
(छत्तीसगढ़)

क्रमांक/आब./ठेका/2020/453 बलौदाबाजार, दिनांक 21/03/2020

प्रतिलिपि :–

1. सचिव,छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आबकारी आयुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रबंध संचालक, सी.एस.एम.सी.एल. रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. आयुक्त राजस्व रायपुर संभाग रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. उपायुक्त आबकारी राज्य स्तरीय उड़नदस्ता छ.ग. रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता रायपुर संभाग रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. पुलिस अधीक्षक जिला बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ ।
8. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बलौदाबाजार/भाटापारा/बिलाईगढ़/सिमगा/कसडोल की ओर सूचनार्थ।
9. उप–संचालक जनसंपर्क विभाग बलौदाबाजार–भाटापारा (छ.ग.) की ओर सूचनार्थ।

क्रमशः– 2 पर.....

10. सहायक जिला आबकारी अधिकारी मण्डल—बलौदाबाजार / भाटापारा / कसडोल एंव आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त—बलौदाबाजार / भाटापारा / सिमगा / बिलाईगढ / सरसींवा / कसडोल की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि **घोषित शुष्क अवधि अनुसार** प्रभार क्षेत्र की समस्त देशी / विदेशी मदिरा दुकाने, एफ.एल.—4 क्लब बार असैनिक विनोदगृह निर्धारित समय के पश्चात् पूर्णतः सीलबंद करें तथा बंदी दिवस को अपने प्रभार क्षेत्र में संघन गस्त कर यह सुनिश्चित करे कि प्रभार क्षेत्र में कही भी मदिरा का अवैध संग्रहण एवं विक्रय न होने पावे।
11. मद्यभाण्डागार अधिकारी बलौदाबाजार की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।
12. प्लेसमेंट एजेंसी अलर्ट कमांडोंज प्रा. लिमि. एवं सिक्यूरिटी एजेंसी एस.आई.एस. प्रा. लिमि. समस्त देशी / विदेशी मदिरा दुकान में नियुक्त कर्मचारियों को सूचित कर उक्त अवधि में आदेश का पालन करना सुनिश्चित करने हेतु आदेशित।

21-03-2020

कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी
जिला बलौदाबाजार—भाटापारा
(छत्तीसगढ़)